



सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

(छ.ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 18/2008 द्वारा स्थापित)

E-Mail:- registrar_sua@yahoo.in

Phone:- 07774-222789, Fax:- 222791

क्रमांक: 3 // / अकादमिक / शोध / 2012

अम्बिकापुर, दिनांक 05/03/2012

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 42 की कंडिका 10 (बी) के अन्तर्गत निम्नांकित महाविद्यालयों में उनके नाम के समक्ष उल्लिखित विषयों में शोध केन्द्र की मान्यता प्रदान करने हेतु गठित निरीक्षण समिति की अनुशंसा में उल्लिखित शर्तों के साथ में अस्थायी शोध केन्द्र के रूप से घोषित किया जाता है -

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	विषयों का नाम जिनके लिये शोध केन्द्र घोषित किया जाता है
1	होलीक्रास वीमेंस कॉलेज, अम्बिकापुर (छ.ग.)	मनोविज्ञान
2	ठाकुर छेदीलाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	रसायनशास्त्र
3	श्री साईं बाबा आदर्श महाविद्यालय, डिगमा, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)	वाणिज्य, व्यवसायिक अर्थशास्त्र एवं व्यवसाय प्रबंध, प्रबन्धन, कम्प्यूटर साइंस, इन्फारमेशन टेक्नोलाजी एवं समाज कार्य

(डॉ. आर.डी. शर्मा)

कुलसचिव

सरगुजा विश्वविद्यालय,
अम्बिकापुर (छ.ग.)

पू.क्रमांक: 312 / अकादमिक / शोध / 2012

अम्बिकापुर, दिनांक 05/03/2012

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित की ओर अग्रेषित :-

- (1) माननीय कुलपति जी, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- (2) प्राचार्य, समस्त सम्बन्धित महाविद्यालय एवं शोध केन्द्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे संलग्न निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित शर्तें तीन माह के अन्दर पूरा करें। जिससे शोध केन्द्र को स्थायी मान्यता प्रदान करने की कार्यवाही की जा सके।
- (3) सम्बन्धित संकाय/अध्ययन मण्डल के संकायाध्यक्ष/अध्यक्ष को सूचनार्थ।
- (4) विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी परीक्षा/गोपनीय/वित्त/विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
- (5) कार्यालयीन नस्ती।

कुलसचिव

सरगुजा विश्वविद्यालय,

अम्बिकापुर (छ.ग.)